न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 111/2017

1. श्रवणराम पुत्र मुंशीराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विद्या देवी पुत्री मुंशीराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. भादरराम पुत्र मुंशीराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. विमला देवी
2. पूर्णराम
3. ओमप्रकाश
4. राजकुमार
5. कमला

पिसरान नत्थूराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर
दिनांक 18.08.2017

उपस्थित
श्री सज्जनसिंह अभिभाषक अपीलांट्स
श्री प्रेमकुमार मक्कड व बलजीत सिंह अभिभाषक रेस्पों.
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 29.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी नत्थूराम ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88.

29/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

53 पेश कर कथन किया कि वादी के पिता व वादी की माता तथा वादी की बहन के नाम से चक 3 एल बड़ा के मु.नं. 36 की 25 बीघा भूमि खातेदारी है। वादिया की बहन कुंवारी फोत हो गई तथा उसके जायज वारिस वादिया की माता हुई। इस प्रकार उक्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा एवं वादिया के पिता का देहान्त होने पर वादी अपनी माता व पिता के हिस्से का हकदार बना। वादी की माता के देहान्त के बाद वादी के पिता ने कथित दूसरी शादी प्रतिवादी सं. 2 के साथ कर ली जिसके प्रतिवादी सं. 3, 4 पैदा हुए। इस प्रकार वादी का उक्त भूमि में 21 बीघा 17–1/2 बिस्वा बनता है। अतः उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 ने जबाब दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम की गई। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयों का निर्णय सही नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश मृतक व्यक्ति के हक में पारित किया है। मुन्शीराम के वारिसान के अनुसार उसके सात वारिस हुए लेकिन दावा में नत्थूराम ने अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर रेस्पों. सं. 1 से 5 को 8 बीघा भूमि का तथा शेष रकबा का अपीलांट को खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की एवं साक्ष्य के आधार पर वाद का जो निर्णय किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा मुन्शीराम की

29/11/17

विरासत अनुसार दावा डिक्री किया जो मृतक व्यक्ति के पक्ष में निर्णय पारित करने से अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावे के आधार पर तीन तनकीयात कायम की गई यथा:–

(1) आया कि वादी संयुक्त रूप से आवंटित चक 3 एल बडा के खाता सं. 32/28 मु.नं. 36 के 25 बीघा में मुताबिक सनद सं. 2497 दिनांक 03.01.1987 अपना हिस्सा 21 बीघा 17–1/2 बिस्वा पाने का अधिकारी है। —वादी

(2) आया कि मुन्शीराम आवंटित रकबा चक 3 एल के खाता सं. 32/28 का मु.नं. 36 के 25 बीघा की वसीयत करने का अधिकार रखता था। — वादी

(3) आया कि वादी वसीयत के अनुसार 8 बीघा रकबा पाने का हकदार है। –प्रतिवादीगण

उपरोक्त तीन तनकीयात में से दो तनकीया 1 व 2 वादी/रेस्पों. द्वारा सिद्ध की जानी थी व तनकी सं. 3 प्रतिवादीगण द्वारा साबित की जानी थी। उपरोक्तानुसार अधी. न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 व 2 वादी/रेस्पों. के पक्ष में विनिश्चित की तथा तनकी सं. 3 प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित होकर दावा डिक्री किया है।

अपील मीमों में तनकी विनिश्चय की मुख्य आपत्ति यह जाहिर की कि अधी. न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते का न मानना कानूनी भूल की है बाबत अधी. न्यायालय की पत्रावली का परीक्षित दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी के इन्द्राजात अनुसार विवादित आराजी मुन्शीराम पुत्र रामचन्द, जीवनी जोजा मुन्शीराम, प्रेमी पुत्री मुन्शीराम, नत्थू पुत्र मुन्शीराम ब.हि.ब. अंकित है। अत: विवादित 25 बीघा भूमि में मुन्शीराम का 1/4 हिस्सा 6.25 बीघा रिकार्ड से प्रमाणित है। अत: मुन्शीराम अपने हिस्से की ही भूमि की व्यवस्था (Setlement) अथवा वसीयत कर सकता है न कि संयुक्त खाते में दर्ज सभी काश्तकारों की भूमियों का बंटवारा मुन्शीराम अकेला करने न तो कानूनी रूप से सक्षम है न ही उसकी Locus-Standai है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांट अभिभाषक की बहस का सार है कि इकरारनामा, बंटवारा पारिवारिक सेटलमेन्ट का Weightage

29/11/17

न देकर तनकियात विवेचन में त्रुटि रखी है जो अपीलांट के पक्ष में निर्णय योग्य बताया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2002 अपील सं. 183/हनुमानगढ़/97 Bhiram & ors V/s Harlal & ors निर्णय दिनांक 26.04.2002 पेज 352 में held किया कि Rajasthan Tenancy Act, Section 53 & 88- Appeal against order of R.A.A. – Held, disputed land was in khatedari of 'B' who expired leaving three sons and three daughters- Daughters relinquished their share in favour of brothers- Plaintiff 'D' has already taken his father- Rest of two sons are entitled to any share in disputed land left by his father- Rest of two sons are entitled to half share- No error in concurrent findings of courts. जिसका सन्दर्भ पैरा सं. 6 व 7 का उद्धरण है कि अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि यह भूमि उनके पिता भीयाराम के खातेदारी की थी। भीयाराम के तीन पुत्र डूंगरराम, हरलाल, सुरजाराम थे तथा तीन पुत्रिया मीरा, रामी एवं देउ थी। पुत्रियों ने अपने स्वत्व भाईयों के पक्ष में त्याग दिये थे। इसलिए भीयाराम के तीन पुत्रों का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था एवं इस सम्बन्ध में उन्होंने जमाबन्दी सम्वत 2010 लगायत 2013 एवं खतौनी सम्वत 1868 एक्जीविट 5 की ओर ध्यान दिलाया मगर हम इनके इस तर्क से सहमत नहीं है जो दस्तावेज परीक्षण न्यायालय ने रिकार्ड पर नहीं लिया है क्योंकि वादी ने एक्जीविट नहीं कराया था। मगर फिर भी इन दस्तावेज में स्थिति स्पष्ट है। प्रथम दस्तावेज 9 खतौनी मौजा रामपुर सम्वत 1993,1994 व वादी व प्रतिवादी के पिता भीयाराम पुत्र सुखराम के खाते में 274 बीघा 9 बिस्वा भूमि है। इसके बाद इस आराजी में से भूमियां कटती गई क्योंकि पुत्र डूंगरराम को भूमि दे दी गई जो तथ्य एक्जीविट 11 से स्पष्ट है, जो खतौनी सम्वत 1994–1995 है। डूंगरराम के खाते 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि बांदी गई एवं रिमार्क कॉलम में उल्लेखित किया गया है कि नामान्तरणकरण सं. 36 से अलग की गई है। पिता भीयाराम चौधरी ने न्यारा होने पर इसी एक्जीविट 10 में 35 बीघा 17 बिस्वा डूंगरराम के बाप से न्यारा होने पर सम्वत 2008 में प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि वादी को उसके हक की भूमि 91 बीघा भूमि प्राप्त हो गई है जो कुल 274 बीघा का 1/3 भाग है, जब वादी पूर्व में ही अपने पिता से अलग हक व हिस्से की भूमि लेकर अलग हो गया था तो उसका

29/11/17

उसमें कोई हिस्सा नहीं रह जाता था एवं दोनों अधी. न्यायालयों ने उसके दावे को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि प्रतिवादी ने कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया, कोई तनकीयात नहीं बनाई एवं दस्तावेज को प्रमाणित नहीं माना गया। मगर फिर भी इन दस्तावेजों को विश्वास कर न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया। हम उनके इस तर्क से सहमत नहीं है, जब वादी एक बार स्वत्व व हिस्से की भूमि लेकर अलग हो गया तथा अपने पिता से बकाया भूमि में से दुबारा बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं था। दोनों अधी. न्यायालयों का निर्णय समवर्ती त्रुटि नहीं है जिससे कि द्वितीय अपील के स्तर पर उसमें हस्तक्षेप किया जावे। उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अभिभाषक रेस्पों. द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिकार करते हुए जाहिर किया कि यह न्याय सिद्धांत हक तर्क से सम्बन्धित होकर इस प्रकरण पर चस्पा योग्य नहीं होना जाहिर किया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर. आर.डी. 2016 पेज 280 अपील सं. 9808/212 एवं 1909/2014/गंगानगर चेतराम बनाम अमरीदेवी व अन्य निर्णय दिनांक 28.03.2016 में held किया कि Rajasthan Land Revenue Act, Section 76- Both Appeals have been filed against order of RAA-RAA by a single order rejected appeals and upheld decision of Tehsildar- Secon apeal befor Board- Held- Registered document "will" presumed to ve validly executed unless proved forge of false by civil court- Hindu Succession Act, Section 14-A Hindu widow is bestowed with full ownership of property of her husband and can bequeath her share or interest in property by executing a "will"- Lower courts failed to appreciate this legal position- Decisions of lower courts set aside.

उपरोक्त न्याय सिद्धांत के सम्बन्ध में रेस्पों. अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि मुन्शीराम के हिस्से की आराजी में उनकी पत्नियों व उनके वारिसान को हिस्से देने में कोई आपत्ति नहीं है जो अधी. न्यायालय द्वारा इसी अनुरूप निर्णय होना जाहिर किया।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय सिद्धांत आरआर.डी. 2014 पेज 259 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB C.W.P No-1583/97 पेमाराम व

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अन्य बनाम संभागीय आयुक्त वगैरह निर्णयदिनांक 21.11.2013 में प्रतिपादित किया है विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधि. धारा 33–B जो पाकिस्तान से देशान्तरण पर आया था, को कमाण्ड भूमि आवंटित की गई– H उसका पुत्र था जो B उसकी प्रथम पत्नी से पैदा हुआ था और B की दूसरी शादी से तीन पुत्र व एक पुत्री हुई– B की मृत्यु होने पर द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रतिनिधियों के नाम नामान्तरणकरण खोला गया। अतः H के D.R.O. के समक्ष भूमि में 1/2 हिस्सा मांगने का आवेदन प्रस्तुत किया जो स्वीकार कर लिया गया। परन्तु अपील में SO ने इसे निरस्त कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि सभी उत्तराधिकारी समान हिस्से के हकदार हैं –मण्डल में अपील D.R.O. का आदेश पुनः स्थापित किया गया – उच्च न्यायालय में रिट याचिका– अभिनिर्धारित– B के सभी उत्तराधिकारी जो प्रथम पत्नी से हुए थे या द्वितीय वर्ग 1 के उत्तराधिकारी है तथा धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बराबर के हिस्सेदार हैं।

रेस्पो. अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि यह न्याय सिद्धांत राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 28.03.2016 का endorsement है। अतः मुन्शीराम की दोनों पत्नियों के विधिक उत्तराधिकारी को उनका हक देने में रेस्पों. को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात विवेचित विधिसम्मत होने से अपीलांट की आपत्तियां खारिज की जा सकती है।

प्रकरण हाजा का सार है कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 एल बख्ता के मु.नं. 36 की 25 बीघा भूमि मुन्शीराम वल्द रामचन्द, जीवनी जोजा मुन्शीराम, प्रेमी पुत्री मुन्शीराम, नत्थूराम पुत्र मुन्शीराम ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है जो जो खातेदारन के जीते जी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 के प्रावधनुसार हस्तांतरण योग्य है एवं किसी खातेदार की मृत्यु उपरांत इसी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve योग्य है। अतः प्रकरण हाजा में मुन्शीराम की मृत्यु उपरांत उसके नाम दर्ज आराजी उसकी दोनों पत्नियों की संतानें व जीवित दूसरी पत्नी की विरासत के रूप में तथा प्रेमी पुत्री मुन्शीराम की अविवाहित मृत्यु होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि. अनुसार विवेचित होकर तत्समय जीवित मां जीवनी की विरासत का विवेचन आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर अधी. न्यायालय द्वारा

29/11/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

तनकीयों का सही विवेचन व निर्णय व हिस्सा कस्सी का सही गणना करने से अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय दिनांक 29.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी.

1. श्रवणराम पुत्र मुंशीराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विद्या देवी पुत्री मुंशीराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. भादरराम पुत्र मुंशीराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. विमला देवी
2. पूर्णराम
3. ओमप्रकाश
4. राजकुमार
5. कमला

पिसरान नत्थूराम जाति बावरी निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 111/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 18.08.2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 29 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सज्जनसिंह अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट्स व श्री प्रेमकुमार मक्कड व बलजीत सिंह अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X...) रूपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसव्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 29.11.2017 को जारी किया गया।

29/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)